

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2022 का आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार मामला सं.1186

वर्ष-2022 का थाना वाद सं.-9227, थाना-पटना शिकायत वाद, जिला-पटना से उद्धृत।

=====

सागर प्रसाद, पुत्र- स्वर्गीय बालगोविंद महतो, निवासी-गांव-रायसे डाकघर -भगवतीपुर करमोर, थाना-पंडराक और वर्तमान में निवासी- क्वार्टर नंबर 100/34, एल.आई.जी.एच., लोहिया नगर, जिला-पटना-800020।

... ..याचिकाकर्ता

बनाम

1. सचिव, गृह विभाग, बिहार सरकार, पटना के माध्यम से बिहार राज्य।
2. सचिव, गृह विभाग, बिहार सरकार, पटना।
3. पुलिस महानिदेशक, बिहार सरकार, पटना
4. उप महानिरीक्षक, बिहार, पटना
5. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, पटना, बिहार
6. रविशंकर सिंह, प्रभारी अधिकारी, कंकड़बाग पुलिस थाना और जिला-पटना
7. श्रीमती निशा, महिला निरीक्षक, थाना और जिला-पटना
8. डॉ. शंभू कुमार, पुत्र - स्वर्गीय धनेश्वर राम निवासी - अनुमंडल अस्पताल, तेनुघाट, बोकारो, झारखंड
9. शंकर कुमार, पुत्र-स्वर्गीय धनेश्वर राम, निवासी-उप-मंडल अस्पताल, तेनुघाट, बोकारो, झारखंड 829123
10. रविंदर कुमार पुत्र-स्वर्गीय राम प्रसाद, निवासी- क्वार्टर नं. 100/43, एल.आई.जी.एच, लोहिया नगर, टाम्पू स्टैंड के पास, थाना-कंकड़बाग, जिला-पटना-800020
11. देवेंद्र कुमार, पुत्र- स्वर्गीय राम प्रसाद, निवासी- क्वार्टर नंबर 100/43, एल.आई.जी.एच, के निवासी. लोहिया नगर, टैम्पो स्टैंड के पास, थाना-कंकड़बाग, जिला-पटना-800020

... ..प्रतिवादीगण

=====

उपस्थिति:

याचिकाकर्ताओं के लिए	:	श्री सुधांशु त्रिवेदी, अधिवक्ता
		श्री विवेक आनंद अमृतेश, अधिवक्ता,
प्रत्यर्थी/ओं के लिए	:	श्री एम. नसरुल हुदा खान, एससी-1
		श्री मो. इरशाद, के ए सी
उत्तरदाता के लिए सं. 8-11	:	श्री प्रभाकर मिश्रा, अधिवक्ता

=====

रिट याचिका -याचिकाकर्ता और उनके परिवार को गंभीर खतरे के मद्देनजर सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश देने हेतु दायर की गई, क्योंकि उन्हें उनके निवास स्थान से बेदखल कर दिया गया था और उन्हें पुलिस द्वारा अवैध रूप से हिरासत में लिया गया था। इस बीच, एक वाद का मामला पहले से चल रहा है।

याचिकाकर्ता ने दावा किया कि घर खरीदने और वहां 14 वर्षों तक रहने के बावजूद, उन्हें जबरदस्ती बेदखल कर दिया गया और उनके कीमती सामान चोरी कर लिए गए।

वर्तमान मामले में, पुलिस स्टेशन में याचिकाकर्ता को हिरासत में रखना, यदि कानूनी अर्थ में गिरफ्तारी नहीं है, तो भी यह एक प्रकार की गिरफ्तारी के समान है। याचिकाकर्ता की स्वतंत्रता को सुबह से शाम तक पुलिस स्टेशन में रहने के लिए कहा गया, जिससे उनकी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ। (पैरा 37)

न्यायालय को इस बात में कोई संदेह नहीं है कि याचिकाकर्ता को सुबह से शाम तक पुलिस स्टेशन में उनकी स्वतंत्रता से वंचित रखा गया। यह पूरी तरह से अवैध था। न्यायालय के मत में, पुलिस उप-निरीक्षक और थाना प्रभारी ने कानून द्वारा प्रदत्त अपनी शक्ति का अतिक्रमण किया। यह एक ऐसा मामला है जिसमें पुलिस अधिकारी द्वारा दी गई कठोर शक्ति का दुरुपयोग किया गया। इस प्रकार की शक्ति को इस तरह से अनियमित और अनौपचारिक तरीके से प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए था जैसा कि इस मामले में हुआ। इस अवैध हिरासत के लिए, न्यायालय यह निर्णय करता है और घोषणा करता है कि राज्य को याचिकाकर्ता को एक लाख रुपये का मुआवजा देना होगा। (पैरा 42)

न्यायालय इस मामले के तथ्यों को देखते हुए, याचिकाकर्ता को पुनः कब्जा दिलाने के लिए अपनी असाधारण रिट क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने के लिए इच्छुक नहीं है। (पैरा 45)

पक्षकारों के बीच स्वत्व वाद को न्यायालय स्वयं के विवेक के अनुसार तय करेगा और इस आदेश के किसी भी भाग में न्यायालय द्वारा किए गए अवलोकनों से प्रभावित नहीं होगा। (पैरा 46)

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय आदेश

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री राजीव रंजन प्रसाद

सी. ए. वी. निर्णय

तिथि: 23-02-2024

यह रिट आवेदन शुरू में निम्नलिखित राहतों के लिए प्रार्थना करते हुए दायर किया गया था:

“(i) प्रतिवादी अधिकारियों को परमादेश प्रकृति निर्देश और आदेश याचिकाकर्ता और उसके परिवार को निजी उत्तरदाताओं से सुरक्षा प्रदान करने के लिए दायर किया है क्योंकि याचिकाकर्ता और उसका परिवार गंभीर खतरे में रह रहा है क्योंकि कि उसके आवास से अवैध रूप से बेदखल किया गया है।

(ii) प्रत्यर्थी 6 से 10 के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई करने के लिए प्रत्यर्थी अधिकारियों को परमादेश की प्रकृति में निर्देश देने और आदेश देने के लिए ,जिन्होंने न केवल याचिकाकर्ता और उसके परिवार को उसके घर से उसके घर की सारी चीजें फेंककर जबरन बेदखल कर दिया है, बल्कि उसे बुरी तरह से भी पीटा है और याचिकाकर्ता और उसके परिवार को उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई करने पर जान से मारने की धमकी भी दी है।

(iii) प्रतिवादी अधिकारियों को प्रतिवादी संख्या 6 से 10 के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने और स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच के बाद उन्हें दंडित करने का निर्देश देने और आदेश देने के लिए परमादेश की प्रकृति में है।

(iv) किसी भी अन्य रिट/रिटों के लिए, आदेश/आदेशों और निर्देश/निर्देशों जो आपके स्वामी मामले की तथ्य परिस्थितियों के रूप में उपयुक्त और उचित मान सकते हैं।

2. रिट आवेदन के लंबित रहने के दौरान, याचिकाकर्ता ने रिट आवेदन में संशोधन के लिए एक आवेदन दायर किया। उक्त अंतर्वर्ती आवेदन 2022 का आई. ए. संख्या 1 होने के कारण दिनांक 22.12.2022 के आदेश के माध्यम से अनुमति दी गई थी। इस न्यायालय ने निर्देश दिया कि उसमें प्रार्थना की गई राहत और दिए गए बयानों को रिट आवेदन का अहम हिस्सा माना जाना चाहिए। 2022 के आई. ए. संख्या 1 में प्रार्थना की गई राहत निम्नानुसार हैं:

“(i) प्रतिवादी अधिकारियों को फ्लैट प्रश्नगत के कब्जे को याचिकाकर्ता को बहाल करके "पूर्व स्थिति" बनाए रखने का निर्देश देने और आदेश देने के लिए जैसा कि 17.08.2022 से पहले था।

((ii) संबंधित प्रत्यर्थियों को उनके अवैध कार्य के कारण याचिकाकर्ता को हुए नुकसान के खर्च का भुगतान करने का निर्देश देने और सोने के गहने और नकदी सहित मूल्यवान वस्तुओं जो बेदखल करने के समय प्रत्यर्थियों द्वारा ले लिए गए थे को वापस करने के लिए।

(iii) प्रत्यर्थियों के अवैध कार्य के कारण याचिकाकर्ता को शारीरिक/मानसिक उत्पीड़न और यातना के लिए मुआवजा देने का निर्देश देने के लिए। ”

याचिकाकर्ता का मामला

3. यह याचिकाकर्ता का मामला है कि डॉ. शंभू कुमार (प्रतिवादी संख्या 8) ने उसके साथ फ्लैट संख्या 100/34 को एल.आई.जी.एच. कंकड़बाग कॉलोनी, टेम्पू स्टैंड के पास, लोहिया नगर, थाना-कंकड़बाग, जिला-पटना में स्थित है 02.11.2008 को चार लाख रुपये की प्रतिफल राशि पर बेचने के लिए एक समझौता किया था। याचिकाकर्ता का दावा है कि उसने रुपये 3,50,000 का भुगतान किया था और फ्लैट के कब्जे में रखा गया था। शेष रु. 50,000/- का भुगतान पंजीकरण के समय करना था। समझौते के अनुसार, पंजीकरण दो साल के भीतर किया जाना था।

4. यह याचिकाकर्ता का मामला है कि वह अपने परिवार के साथ 02.11.2008 से ही उक्त फ्लैट में रहने लगा था। याचिकाकर्ता ने रजिस्ट्री के कार्यान्वयन के वास्ते प्रतिवादी सं. 8 से अनुरोध करना जारी रखा, लेकिन प्रत्यर्थी नं.8 हमेशा यह बहाना बना रहा था कि चूंकि उक्त फ्लैट उसके पिता के नाम पर है और उसे उसके नाम पर स्थानांतरित नहीं किया गया है, इसलिए याचिकाकर्ता के नाम पर फ्लैट स्थानांतरित करना संभव नहीं है। प्रतिवादी सं.हालाँकि, याचिकाकर्ता को फ्लैट में शांति से रहने का आश्वासन दिया और जब भी उक्त फ्लैट हस्तांतरणीय होगा, उसे उसे हस्तांतरित कर दिया जाएगा।

5. यह आरोप लगाया गया है कि आश्चर्यजनक रूप से 11.07.2022 को, एक रवींद्र कुमार (प्रतिवादी सं.10) और देवेंद्र कुमार (प्रतिवादी सं.11) फ्लैट में घुस गए और याचिकाकर्ता को फ्लैट खाली करने के लिए कहा क्योंकि उन्होंने दावा किया कि उन्होंने उसे खरीदा है। याचिकाकर्ता को धमकी दी गई थी कि अगर वह फ्लैट खाली नहीं करेगा तो उसे जबरन बेदखल कर दिया जाएगा। याचिकाकर्ता का आरोप है कि उन्होंने इस संबंध में कंकड़बाग पुलिस स्टेशन में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने की कोशिश की, लेकिन इसे प्रभारी अधिकारी द्वारा दर्ज नहीं किया गया। पुनः 25.07.2022 और 27.07.2022 को, उत्तरदाता संख्या 10 और 11 कुछ असामाजिक तत्वों के साथ आए और याचिकाकर्ता को फ्लैट खाली करने या परिणाम का सामना करने के लिए तैयार रहने की धमकी दी। याचिकाकर्ता ने पटना के विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में 2022 का शिकायत मामला संख्या 9227(सी) के साथ एक शिकायत दायर की और 2022 का स्वत्व वाद संख्या 389 भी दायर किया।

6. यह कहा गया है कि 17.08.2022 को, लगभग 8 बजे प्रातः प्रतिवादी संख्या 10 और 11 ने 50-60 गुंडों के साथ रविशंकर सिंह, कंकड़बाग पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी (प्रतिवादी संख्या 6) और श्रीमती निशा, उसी पुलिस स्टेशन की महिला उप-निरीक्षक (प्रतिवादी संख्या 7) की उपस्थिति में याचिकाकर्ता के फ्लैट में प्रवेश किया। कथित तौर पर, उन्होंने घर का सारा सामान फेंक दिया और सोने के गहने और रुपये 2,50,000 सहित सभी कीमती सामान ले गए। उत्तरदाता सं.6 और 7 याचिकाकर्ता को पुलिस स्टेशन ले गया और

उसे शाम 5 बजे तक वहाँ बैठा दिया, उसे बुरी तरह पीटा और जबरन एक लिखित समझौता पत्र पर हस्ताक्षर करने के बाद ही उसे रिहा किया। रिट आवेदन के अनुलग्नक '1' और '2' शिकायत याचिका की फोटोकॉपी और समझौता पत्र हैं जिन्हें याचिकाकर्ता को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक पुलिस स्टेशन के अंदर रखने के बाद पुलिस स्टेशन में कथित रूप से निष्पादित करवाया गया था।

7. याचिकाकर्ता का कहना है कि प्रतिवादी सं6 और 7 ने मामले को प्रतिवादी नं.10 जोरदार तरीके से वाद सौंपा। प्रतिवादी सं. 8 ने याचिकाकर्ता के परिवार को यहां तक धमकी दी कि अगर वे कोई कदम उठाते हैं या फ्लैट प्राप्त करने के लिए किसी भी प्राधिकरण से संपर्क करते हैं तो उन्हें मार दिया जाएगा। उन्हें यह भी धमकी दी गई थी कि उन्हें एस.सी./एस.टी. अधिनियम के तहत एक मामले में झूठा फंसाया जाएगा। यह आरोप लगाया जाता है कि ये सभी कार्य कंकड़बाग पुलिस स्टेशन की प्रभारी और महिला उप-निरीक्षक के संरक्षण के तहत किए गए थे।

8. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने कहा कि यह पुलिस अधिकारियों द्वारा सत्ता के दुरुपयोग का एक स्पष्ट उदाहरण है। कंकड़बाग पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी और उप-निरीक्षक याचिकाकर्ता के आवास से घरेलू सामान फेंकने में लिस थे, जहाँ वह और उसका परिवार पिछले 14 वर्षों से रह रहे थे। रिट आवेदन के अनुलग्नक '3' के रूप में संलग्न तस्वीरों को इस न्यायालय के समक्ष रखा गया है ताकि यह प्रदर्शित किया जा सके कि घरेलू सामान को सड़क पर कैसे फेंका गया था।

9. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने कहा कि याचिकाकर्ता अपने खिलाफ दी गई धमकी और बल प्रयोग से इतना परेशान था कि वह असहाय महसूस कर रहा था। उनका दावा है कि उन्होंने पुलिस विभाग के सभी उच्च अधिकारियों से संपर्क किया लेकिन किसी ने भी याचिकाकर्ता की शिकायतों को दूर करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया। इस संबंध में, याचिकाकर्ता द्वारा 18.08.2022 को सभी अधिकारियों और प्राधिकारणों को दायर किए गए अभ्यावेदन को रिट आवेदन के अनुलग्नक '4' के रूप में संलग्न किया गया है।

10. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने समर्पित किया कि अनुलग्नक '4' के अवलोकन पर, जो याचिकाकर्ता की पत्नी द्वारा लिखे गए अभ्यावेदन की एक प्रति है, यह प्रतीत होगा कि याचिकाकर्ता ने 17.08.2022 को प्रातः 8 बजे घटित पूरी घटना का वर्णन किया है। उन्होंने विशेष रूप से बताया है कि कैसे उन्हें पुलिस स्टेशन ले जाया गया और शाम 5 बजे तक वहां हिरासत में रखा गया और उन्हें समझौता करने के लिए मजबूर किया गया। याचिकाकर्ता ने अपने पूरक हलफनामे के साथ समझौते की एक प्रति रिकॉर्ड में लाई है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसे प्रतिवादी संख्या 8 एवं याचिकाकर्ता के मध्य 02.11.2008 को निष्पादित किया गया था और दक्षिण बिहार बिजली वितरण कंपनी लिमिटेड द्वारा जारी बिजली बिल की प्रति जो दर्शाती है कि बिजली कनेक्शन की तारीख 19.09.2011 है और यह याचिकाकर्ता के नाम पर है। रिट आवेदन में दिए गए बयानों की निरंतरता में, याचिकाकर्ता ने अपने अंतर्वर्ती आवेदन में कहा है कि याचिकाकर्ता और उसके

परिवार के सदस्य अपनी जान गंवाने के खतरे में जी रहे हैं। यह आरोप लगाया गया है कि आधिकारिक उत्तरदाताओं ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया है और गुंडों की तरह काम किया है जिन्होंने न केवल याचिकाकर्ता को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया है, बल्कि याचिकाकर्ता को सामाजिक और आर्थिक रूप से भी परेशान किया है।

प्रतिवादी सं. 5 और 6 का रुख

11. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, पटना और तत्कालीन प्रभारी अधिकारी, कंकड़बाग पुलिस स्टेशन प्रतिवादी सं.5 और 6 हैं। प्रत्यर्थी सं.5 ने प्रतिवादी सं. 6 द्वारा समर्पित एक विस्तृत रिपोर्ट का उल्लेख 13.12.2022 को किया है। यह उत्तरदाता सं.6 थाना के सी.सी.टी.वी. फुटेज के संदर्भ में, को सूचित किया गया है कि 17.08.2022 को, याचिकाकर्ता को हिरासत में नहीं लिया गया था, बल्कि वह अपने दोस्तों/रिश्तेदारों के साथ नियमित रूप से संपर्क में था और यहां तक कि संबंधित नगर पार्षद भी पुलिस स्टेशन गए थे। पुलिस स्टेशन में याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई अवपीड़क कार्रवाई नहीं की गई थी और वह अक्सर अपने तरीके से पुलिस स्टेशन के बाहर और अंदर जाता था। यह कहा गया है कि 17.08.2022 को याचिकाकर्ता की पत्नी की शिकायत प्राप्त होने पर, एस. एच. ओ. ने मामले की जांच के लिए एक उप-निरीक्षक, अर्थात् प्रभु नाथ चौबे को भेजा था। पुलिस के उप-निरीक्षक ने पूछताछ के बाद निवारक कार्रवाई की थी और 2022 की गैर-प्राथमिकी संख्या 19 दिनांक 17.09.2022 को दर्ज की थी और संबंधित उप-मंडल मजिस्ट्रेट, सदर, पटना को एक रिपोर्ट भेजी थी। यह कहा गया है कि न तो एस. एच. ओ. और न ही पुलिस उपनिरीक्षक निशा ने 2022 के कंकड़बाग थाना केस नंबर 1139 के आरोपी से कभी बात की थी और अपने दावे के समर्थन में, उन्होंने संबंधित आधिकारिक और व्यक्तिगत मोबाइल नंबर की कॉल विवरण रिपोर्ट समर्पित की थी। प्रतिवादी सं. 5 ने कहा है कि वह व्यक्तिगत रूप से कंकड़बाग पुलिस स्टेशन गया और खुद कंकड़बाग पुलिस स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज की प्रति-परीक्षण की और कंकड़बाग पुलिस स्टेशन के एस. एच. ओ. द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट की जांच की और पाया कि एस. एच. ओ. द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट सही है। यह कहा गया है कि उत्तरदाता 5 ने इस न्यायालय को आश्वासन दिया कि यदि कंकड़बाग पुलिस स्टेशन के अधिकारियों के खिलाफ जांच के दौरान कोई सामग्री आती है, तो उनके खिलाफ उचित कानूनी और साथ ही अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित रखा गया है। प्रतिवादी सं. 5 केवल वही दोहराया है जो प्रतिवादी नं.6 अपने जवाबी हलफनामे में पूर्व में ही समर्पित किया है। प्रतिवादी सं. 6 ने प्रतिवादी सं. 5 को प्रेषित अपने प्रतिवेदन के मुताबिक समर्पित किया है।

प्रतिवादी सं. 8 एवं 9 का रुख

12. डॉ. शंभू कुमार के छोटे भाई शंकर कुमार द्वारा एक जवाबी हलफनामा दायर किया गया है। इसमें कहा गया है कि फ्लैट संख्या 100/34 एल.आई.जी.एच उनके पिता स्वर्गीय धनेश्वर राम को निम्न आय वर्ग के तहत आवंटित किया गया था। यह उक्त स्वर्गीय

धनेश्वर राम और बिहार सरकार के बीच 15 जुलाई 1968 को हुए एक समझौते के तहत था। यह आवंटन 99 वर्षों के लिए पट्टे के आधार पर किया गया है। फ्लैट प्रतिवादी नं. 9 के पिता को सौंप दिया गया। जिसने सभी देय राशि का भुगतान कर दिया था। प्रत्यर्थी सं. 9 के पिता की मृत्यु वर्ष 1990 में हुई माँ की मृत्यु पहले ही 08.12.1984 को हुई थी। इसलिए उनकी मृत्यु के बाद, दो बेटे, शंभू कुमार और शंकर कुमार, कानूनी उत्तराधिकारी होने के नाते उक्त फ्लैट के उत्तराधिकारी बने। यह कहा गया है कि याचिकाकर्ता और उसकी पत्नी ने प्रतिवादी नं.8 के सभी दस्तावेजों, आभूषणों और अन्य मूल्यवान चीजों सहित उसके घर पर अवैध कब्जा कर लिया था। जवाबी हलफनामे के पैराग्राफ '7' में, यह कहा गया है कि वर्तमान आपराधिक रिट आवेदन के याचिकाकर्ता ने फ्लैट नंबर 100/34 पर जबरन और गैरकानूनी रूप से कब्जा कर लिया और जब भी अभिसाक्षी याचिकाकर्ता को अपना आवास खाली करने के लिए कहता, तो याचिकाकर्ता हमेशा उसे कुछ शब्दों से धमकी देता है कि "मैं घर नहीं छोड़ूंगा"। प्रत्यर्थी सं. 9 किसी भी समझौते के निष्पादन या प्रतिफल राशि की प्राप्ति से इनकार किया। यह आरोप लगाया जाता है कि प्रतिवादी ने कई बार शिकायत की और यहां तक कि 22.07.2022 को भी, याचिकाकर्ता और उसकी पत्नी ने बेरहमी से पीटा था, अपमानजनक भाषा में उसके जाति नाम का उपयोग करके उसे गाली दी थी, प्रतिवादी ने कई अधिकारियों के पास शिकायत दर्ज कराई थी लेकिन कंकड़बाग पुलिस ने उसकी शिकायत दर्ज नहीं की थी।

13. जहाँ तक 17.08.2022 को हुई घटना का संबंध है, यह प्रतिवादी नं. 9 का रुख है कि सुबह लगभग 8 बजे जब प्रतिनिधि उसके आवास एल.आई.जी.एच. पर पहुँचा तो इस याचिकाकर्ता और उसके भतीजे सहित उसकी पत्नी ने उसे प्रवेश करने से रोक दिया, उन्होंने मौखिक रूप से उसे गाली दी और उसका सारा सामान सड़क पर फेंक दिया। जैसे-जैसे स्थिति बिगड़ती गई, पड़ोस के लोग इकट्ठा हो गए। किसी ने पुलिस को बुलाया एवं याचिकाकर्ता एवं अभिसाक्षी दोनों को पुलिस स्टेशन ले जाया गया जहां गवाहों के सामने उनके बीच एक समझौता किया गया जो अरविंद कुमार श्रीवास्तव (याचिकाकर्ता के मित्र) द्वारा लिखा गया था। उक्त समझौते में, याचिकाकर्ता को साक्ष्य/समझौता/धन रसीद प्रदान करने या अभिसाक्षी का फ्लैट खाली करने के लिए लगभग एक महीने से अधिक का समय दिया गया था। यह आरोप लगाया गया है कि 04.09.2022 को, सब्जियां खरीदकर घर लौटते समय, याचिकाकर्ता, उसकी पत्नी और उसके भतीजे ने तीन अज्ञात व्यक्तियों के साथ उसे उसकी जाति के नाम से गाली दी और जानबूझकर प्रतिवादी का अपमान/डराया-धमकाया, जिसके लिए प्रतिवादी ने पुलिस स्टेशन में शिकायत की थी, लेकिन आज तक उसे कुछ नहीं हुआ है। जहां तक दिनांकित 02.11.2008 के समझौते का संबंध है, यह कहा गया है कि अभिसाक्षी के भाई ने कभी भी ऐसा समझौता नहीं किया है, यह एक जाली दस्तावेज है और इसे कंप्यूटर की मदद से तैयार किया गया है।

10 और 11 का रुख

14. निजी प्रतिवादी सं. 10 एवं 11 की ओर से एक जवाबी हलफनामा दायर किया गया है। यह कहा गया है कि रिट याचिकाकर्ता ने स्वर्गीय धनेश्वर राम के घर पर जबरन और अवैध रूप से कब्जा कर लिया था। याचिकाकर्ता और उसके परिवार ने धनेश्वर राम के छोटे पुत्र पर हमला किया था जो वहां रहता था। याचिकाकर्ता ने शंकर को जबरन उसके घर से बाहर निकाल दिया था और सभी दस्तावेजों, आभूषणों और अन्य मूल्यवान चीजों सहित पूरे घर पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया था और जाली बिक्री समझौता किया था।

15. यह कहा गया है कि 17.08.2022 को, याचिकाकर्ता ने कहा कि शंकर कुमार ने कंकड़बाग पुलिस स्टेशन में वार्ड पार्षद के समक्ष एक समझौते को लागू किया था जिसमें प्रतिवादी नं 11 एक गवाह के रूप में हस्ताक्षर किए हैं और शंकर कुमार का समर्थन किया है, जिसके कारण याचिकाकर्ता ने उसे फंसाया है। यह आरोप लगाया गया है कि प्रत्यर्थी सं. 10 और 11 ने घर खरीदा था जो सही नहीं है क्योंकि यह आवास बोर्ड का एक फ्लैट है और कोई भी आवास बोर्ड की अनुमति के बिना इसे बेच या खरीद नहीं सकता है।

केस डायरी

16. रिट आवेदन की सुनवाई के दौरान, सहायक पुलिस अधीक्षक (ए. एस. पी.), पटना ने केस डायरी और पर्यवेक्षण नोट रखा है। इस अदालत को सूचित किया गया है कि जाँच के दौरान यह पाया गया है कि कंकड़बाग पुलिस स्टेशन का सीसीटीवी कैमरा 17.08.2022 को एक घंटा छब्बीस मिनट धीमा चल रहा था। सीसीटीवी फुटेज के अनुसार, लगभग 08:13:46 बजे, पुलिस वाहन उस पुलिस स्टेशन के सामने रुकता है जहाँ से निशा, पुलिस के उप-निरीक्षक को सशस्त्र बलों, याचिकाकर्ता और शंकर कुमार (प्रतिवादी संख्या 9) के साथ आते हुए पाया गया और वे पुलिस स्टेशन परिसर में घुस गए और अलग-अलग अपनी सीटों पर कब्जा कर लिया। पुलिस उप-निरीक्षक निशा और ओ. डी. अधिकारी उप-निरीक्षक गणेश कुमार को एक-दूसरे से बात करते हुए पाया गया। याचिकाकर्ता और शंकर कुमार दोनों को अपने दोस्तों/रिश्तेदारों से मोबाइल पर बात करते देखा गया था। 09:07:50 बजे याचिकाकर्ता का एक दोस्त पुलिस स्टेशन में प्रवेश करता है, उसके बगल में बैठता है और उससे बात करता है। लगभग 10:28:30 बजे वार्ड पार्षद कुमार संजीत और दो-तीन अन्य लोग पुलिस थाने में आए और एक व्यक्ति को याचिकाकर्ता के साथ बात करते हुए पाया गया। 11:05:25 बजे फिर वार्ड पार्षद कुमार संजीत अन्य व्यक्तियों के साथ एस. एच. ओ. के कक्ष में आए और बैठे और उन्हें एस. एच. ओ. के साथ बात करते हुए पाया गया। इसके पश्चात्, अंततः 15:19 बजे याचिकाकर्ता का एक दोस्त एक कागज तैयार करता है और वहां बैठे व्यक्ति उसी पर अपने हस्ताक्षर करते हैं जो एक समझौता दस्तावेज है। उक्त समझौता दस्तावेज पर, याचिकाकर्ता को हस्ताक्षर करते हुए पाया जाता है और उसके बाद सभी पक्षों को पुलिस स्टेशन छोड़ते हुए पाया जाता है।

आपराधिक पृष्ठभूमि

17. अभिलेखों के अवलोकन से यह प्रतीत होता है, कि जबकि शंकर कुमार पुत्र-स्वर्गीय धनेश्वर राम का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, निजी प्रत्यर्थी, अर्थात् रविंद्र कुमार (प्रत्यर्थी सं.10) का भारतीय दंड संहिता की धाराएँ 323, 341, 307 एवं 34 के तहत 2018 का पत्रकारनगर थाना वाद सं. 672, भारतीय दंड संहिता की धाराएँ 323, 345, 448, 504, 506 के तहत 2018 का पत्रकारनगर थाना वाद सं. 701 एवं एस.सी./एस.टी. अधिनियम की धारा 3(2)(ए) के माध्यम से अपराधिक इतिहास पाया गया है।

सोच-विचार

18. पक्षकारों के विद्वान वकील, ए.स.पी. सदर, पटना को सुनने के पश्चात् एवं अभिलेखों के अवलोकन से धनेश्वर राम के पक्ष में प्रश्नगत फ्लैट के आवंटन का संबंध है, वहा, विवाद में नहीं है। जाँच के दौरान, आवास बोर्ड के कार्यकारी अभियंता ने अपने पत्र संख्या 921 दिनांक 29.08.2023 के माध्यम से ए.एस.पी., सदर, पटना को सूचित किया है कि प्रश्नगत फ्लैट धनेश्वर राम के नाम पर आवंटित किया गया है, लेकिन आवंटन आदेश और समझौते की प्रति मंडल कार्यालय-1 में उपलब्ध नहीं है। स्वर्गीय धनेश्वर राम और उनकी पत्नी की मृत्यु पर, प्रतिवादी सं। 8 और 9 का दावा है कि वे, कानूनी मालिक होने के नाते, उक्त आवंटित फ्लैट के हकदार होंगे। इस हद तक, कम से कम वर्तमान रिट आवेदन में कोई मुद्दा भी नहीं है।

19. अभिलेख पर उपलब्ध अभिवचनों से, यह देखा जाता है कि उक्त फ्लैट में याचिकाकर्ता का कब्जा प्रत्यर्थी संख्या 8 एवं 9 द्वारा स्वीकार किया जाता है। वास्तव में, प्रत्यर्थी सं. 9 द्वारा दायर जवाबी हलफनामे में उनके और उनके भाई के लिए कंडिका 6 एवं 7 में निम्नवत बयान दिए गए हैं:-

“6. कि ऊपर नामित अभियुक्त व्यक्तियों ने जबरन घर पर कब्जा कर लिया था, बेरहमी से पीटा था और अभिसाक्षी (जो वहां रहता था) को उसके घर को हड़पने और उसे उसके घर से बाहर निकालने के इरादे से मारने की कोशिश की थी। श्री सागर प्रसाद और उनकी पत्नी ने उन्हें कई बार जाति आधारित अभद्र भाषा का उपयोग करते हुए गाली दी। वे उसे लात मारने, पीटने, गाली देने के आदी हैं। उन्होंने घर के सभी सामानों के साथ शिकायतकर्ता के घर पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया, जिसमें सभी दस्तावेज, गहने और अन्य मूल्यवान चीजें शामिल थीं।

7. कि वर्तमान अपराधिक रिट प्रसाद के याचिकाकर्ता सागर प्रसाद ने फ्लैट नंबर-100/34 पर जबरन और गैरकानूनी रूप से कब्जा कर लिया जब भी अभिसाक्षी याचिकाकर्ता से अपना आवास खाली करने के लिए कहता तो सागर प्रसाद हमेशा उन्हीं शब्दों से धमकी देते हैं कि "मैं घर नहीं छोड़ूंगा, मेरे पास बहुत प्रभाव/शक्ति है। अगर जरूरत पड़ी तो मैं घर के दस्तावेज भी ले लूंगा। कुछ पैसे लेना और मुझे घर हस्तांतरित करना आपके सर्वाधिक हित में है। "

20. प्रत्यर्थी सं. 8 एवं 9 के पूरे जवाबी हलफनामे में। यह खुलासा नहीं किया गया है कि याचिकाकर्ता ने उक्त उत्तरदाताओं को घर से कब बाहर निकाल दिया। इस बारे में कोई बयान नहीं है कि क्या उन्होंने कोई शिकायत दर्ज कराई थी। यह प्रत्यर्थी संख्या 8 एवं 9 का एक स्वीकृत मामला है। कि याचिकाकर्ता ने घर पर कब्जा कर लिया था, हालांकि यह आरोप लगाया जाता है कि उक्त कब्जा बलपूर्वक था। प्रतिवादी संख्या 8 एवं 9 द्वारा कभी भी कोई मुकदमा या कोई अन्य कार्रवाई याचिकाकर्ता को प्रश्नगत फ्लैट से बेदखल करने के वास्ते शुरू नहीं की गई थी।

21. प्रत्यर्थी सं. 10 एवं 11 का जवाबी हलफनामा और कुछ नहीं बल्कि प्रतिवादी संख्या 8 एवं 9 के लिए एक निरा समर्थन है। उत्तरदाता सं. 10 और 11 स्वीकार करते हैं कि वे उत्तरदाता सं 8 एवं 9 का समर्थन कर रहे थे। उत्तरदाता नं. 10 का आपराधिक इतिहास भी है। प्रत्यर्थी सं. 8 एवं 9 के जवाबी हलफनामे में। ऐसा कोई बयान नहीं है कि वे फ्लैट के किसी भी हिस्से या भाग में रह रहे थे, बल्कि यह उनका स्पष्ट बयान है कि उन्हें घर से बाहर फेंक दिया गया था और घर पर याचिकाकर्ता द्वारा अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया था। प्रतिवादियों द्वारा फ्लैट के बिजली बिल पर कोई विवाद नहीं किया गया है। बिल याचिकाकर्ता के नाम पर है और कनेक्शन वर्ष 2011 में ही उनके नाम पर दिया गया था।

22. प्रत्यर्थी संख्या 8 एवं 9 के अभिवचनों से। साथ ही जाँच के दौरान एकत्र की गई सामग्री से भी, यह स्पष्ट हो गया है कि 17.08.2022 को, लगभग 8 बजे प्रातः जब प्रतिवादी नं 9 ने फ्लैट में घुसने की कोशिश की, उसे याचिकाकर्ता और उसके परिवार ने रोक दिया। प्रतिवादी सं. 9 प्रतिवादी संख्या 10 एवं 11 द्वारा समर्थित किया जा रहा था और दोनों पक्षों के बीच झगड़ा था। इस स्तर पर, कंकड़बाग पुलिस स्टेशन के एस. एच. ओ. (प्रतिवादी संख्या 6) ने स्वीकार किया कि उन्हें उनके आधिकारिक नंबर पर फोन भाया एवं उन्होंने श्रीमती निशा, प्रश्नगत फ्लैट में पुलिस की उप-निरीक्षक को भेजा। निशा (प्रत्यर्थी सं. 7) ने याचिकाकर्ता और प्रत्यर्थी सं.9 को पुलिस स्टेशन तक अपनी पुलिस जीप में लाया। याचिकाकर्ता को सुबह से शाम 4 बजे तक पुलिस स्टेशन में रखा गया था। अंततः याचिकाकर्ता और प्रतिवादी नं9 पुलिस थाने में आने वाले वार्ड पार्षद सहित व्यक्तियों द्वारा कई दौर की बातचीत और हस्तक्षेप के बाद एक तथाकथित समझौता किया प्रतिवादी सं. 11 समझौते का एक गवाह है, इस प्रकार मामले में उसकी रुचि और पुलिस स्टेशन में उपस्थिति प्रथम दृष्टया प्रकट है।

23. पुलिस स्टेशन के कैमरे एक घंटे छब्बीस मिनट तक धीमे पाए गए, इसका कारण नहीं बताया गया है, हालांकि तथ्य यह है कि सुबह लगभग 9 बजे से शाम लगभग 5 बजे तक याचिकाकर्ता को पुलिस स्टेशन में रखा गया था और, यह उसका मामला है जो रिकॉर्ड पर सामग्री से स्पष्ट है कि वह पुलिस स्टेशन नहीं छोड़ने के आदेश के तहत था। उत्तरदाता संख्या 5 एवं 6 का एक निर्देशित रुख। कि याचिकाकर्ता को बात करने की अनुमति दी गई थी और वह पुलिस स्टेशन के परिसर के अंदर और बाहर भ्रमण करते हुए अपने रिश्तेदारों और दोस्तों से बात कर रहा था, इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचेगा कि याचिकाकर्ता स्वतंत्र था

और पुलिस के आदेश में नहीं था। उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई थी और वह किसी भी मामले में किसी भी जांच का सामना नहीं कर रहा था।

24. रिट आवेदन के पैराग्राफ '10' में याचिकाकर्ता का यह विशिष्ट मामला है कि याचिकाकर्ता को प्रतिवादी सं 6 से 11 द्वारा परेशान, प्रताड़ित और धमकी दी गई थी। पुलिस अधिकारियों ने उसे बहुत बुरी तरह पीटा और पूरे दिन हिरासत में रखा। वह पूरा दिन परेशान रहा और असहाय महसूस कर रहा था। उन्होंने पुलिस विभाग के सभी उच्च अधिकारियों से संपर्क किया, लेकिन किसी ने भी याचिकाकर्ता की शिकायतों को सुधारने का कष्ट नहीं किया। इस संबंध में, उन्होंने रिट आवेदन के अनुलग्नक '4' के माध्यम से 18.08.2022 को समर्पित सभी अधिकारियों और अधिकारियों को अपनी पत्नी के अभ्यावेदन में अपना सबसे पहला बयान दर्ज किया है। अनुलग्नक '4' के अवलोकन से पता चलेगा कि यह श्वेता कुमारी द्वारा लिखी गई शिकायत है, जो याचिकाकर्ता की पत्नी है। पुलिस अधिकारियों और अन्य अधिकारियों के समक्ष अपने अभ्यावेदन में, उन्होंने विशेष रूप से कहा और साथ-साथ आरोप लगाया कि उसके घर के पूरे सामान को सड़क पर फेंकने से पहले, जो रिट आवेदन के साथ संलग्न तस्वीरों से स्पष्ट होगा, उनके पति को रवींद्र कुमार, देवेंद्र कुमार और गोलू कुमार द्वारा गाली दिया गया और बुरी तरह से हमला किया गया था। उसे जबरन पकड़ लिया गया और कंकड़बाग पुलिस स्टेशन ले जाया गया जहां उसे शाम 5 बजे तक हिरासत में रखा गया। यह आगे आरोप लगाया गया है कि डॉ. शंभू कुमार, उनके भाई शंकर कुमार, रवींद्र कुमार और देवेंद्र कुमार के कहने पर, पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी अर्थात् रवि शंकर सिंह और उप-निरीक्षक निशा ने उसके पति को एक समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया एवं बल का प्रयोग किया और फ्लैट का एक कमरा स्वर्गीय राम प्रसाद के पुत्र रवींद्र के कब्जे में दिया और कमरे की चाबी को बंद करने के बाद रवींद्र कुमार को सौंप दिया गया।

25. इस स्तर पर, यह न्यायालय इस तथ्य कानूनी स्थिति से अवगत है कि जिन मुद्दों के लिए साक्ष्य लेने की आवश्यकता हो सकती है और उस उद्देश्य के लिए, सभी पक्षों को अपने-अपने साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाएगा, इस न्यायालय द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र में जांच करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि रिट अदालत एक तथ्य-खोज अदालत के रूप में कार्य नहीं करेगी। इसलिए यह न्यायालय इस बात की जांच नहीं करेगा कि याचिकाकर्ता के पास किस क्षमता में प्रश्नगत फ्लैट का कब्जा था? चाहे वह बेचने के समझौते के आधार पर या किसी अन्य क्षमता में कब्जे में था, एक उचित कार्यवाही में विचार का विषय होगा, लेकिन जैसा कि यहाँ ऊपर देखा गया, अभिवचनों से एक बात स्वीकार की जाती है कि याचिकाकर्ता अपने परिवार के साथ प्रश्नगत फ्लैट में रह रहा था जब आरोपित घटना 17.08.2022 को घटित हुई।

26. यह एक स्वीकृत पद है कि श्रीमती निशा कुमारी, कंकड़बाग थाने की उप-निरीक्षक को थाने के प्रभारी द्वारा आरोपित घटना के बारे में कुछ सूचना प्राप्त होने के उपरांत को भेजा गया, लेकिन यह तथ्य कि प्रभारी अधिकारी को घटना के बारे में जानकारी

मिली थी और उन्होंने उप-निरीक्षक निशा को उस स्थान का दौरा करने का निर्देश दिया था, जिसके बाद निशा याचिकाकर्ता और प्रतिवादी नं. 9 को कंकड़बाग के पुलिस स्टेशन में लायी पुलिस स्टेशन की स्टेशन डायरी में दर्ज नहीं हैं।

27. एक संवैधानिक अदालत होने के नाते, इस अदालत ने पाया कि इस मामले की सबसे परेशान करने वाली विशेषता यह है कि जब कंकड़बाग पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को लिखित शिकायत/अभ्यावेदन मिला, जैसा कि रिट आवेदन के अनुलग्नक '4' में निहित है, तो उन्होंने पुलिस स्टेशन के रिकॉर्ड में अनुलग्नक '4' की प्राप्ति का उल्लेख नहीं किया। 30.11.2022 और 01.12.2022 को मामले की सुनवाई के दौरान, इस न्यायालय ने प्रतिवादी सं. 6 एवं 7 सहित उत्तरदाताओं के खिलाफ लगाए गए गंभीर प्रकार के आरोपों पर ध्यान दिया। उत्तरदाता सं. 6 और 7 को उपस्थित होने और अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए बुलाया गया था। वे 01.12.2022 को आयोजित सुनवाई में मौजूद थे और इस अदालत ने उन्हें सुना। इस अदालत को याचिकाकर्ता और कंकड़बाग पुलिस स्टेशन के एक निरीक्षक प्रभुनाथ चौबे और प्रतिवादी नं. 10 के बीच हुए वार्तालाप का एक ऑडियो क्लिप उपलब्ध कराया गया। ऑडियो क्लिप वार्तालाप करने वाले व्यक्तियों की आवाज विवादित नहीं थे। ऑडियो क्लिप को इस मामले की पहली छाप पाने के लिए चलाया गया था। याचिकाकर्ता के भतीजे और रवींद्र कुमार (प्रतिवादी सं.10) के बीच बातचीत की ऑडियो क्लिप उपलब्ध कराई गई है और इसे इस अदालत में चलाया गया था। यह न्यायालय उन चर्चाओं में गहराई से नहीं जा रहा है जो याचिकाकर्ता को जबरन बेदखल करने के प्रथम दृष्टया मामले का खुलासा कर रहे हैं और इसे ए. एस. पी. सदर/जांच एजेंसी पर छोड़ रहा है कि वह कानून के अनुसार सभी ऑडियो क्लिप की जांच करे और उस पर विचार करे।

28. इस न्यायालय ने एस.एच.ओ. को यह सूचना प्रदान करने के वास्ते आह्वान किया कि 11.07.2022 के पूर्व एवं उसके पश्चात् घटित घटना के संबंध में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के आधार पर प्रथम सूचना प्रतिवेदन क्यों नहीं दर्ज की गई। लिखित शिकायत की प्राप्ति विवादित नहीं थी, लेकिन अदालत ने पाया कि पुलिस निरीक्षक प्रभुनाथ चौबे याचिकाकर्ता को पंजीकरण के उद्देश्य से उससे संपर्क करने के लिए कह रहे थे, लेकिन याचिकाकर्ता को एक झूठे मामले में फंसाने का डर होने के कारण उसे शब्दों में व्यक्त करने में कठिनाई दर्शा रहे थे कि वह पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी द्वारा झूठे फँसाना की धमकी के तहत था। यह तभी हुआ जब एस. एच. ओ. ने देखा कि उसने याचिकाकर्ता की पत्नी द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर एफ. आई. आर. पंजीकृत नहीं किया था जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के परमादेश के बावजूद **ललिता कुमारी बनाम् उत्तर प्रदेश सरकार एवं अन्य ए.आई.आर. 2014 एस सी 187** में प्रतिवेदित मामले में था। उन्होंने जल्दबाजी में भारतीय दंड संहिता की धारा 147,323,447,448,506,380,427 और 504 के तहत 2022 का कंकड़बाग थाना मामला संख्या 1139 दिनांक 01.12.2022 में दर्ज किया।

29. इस न्यायालय ने दिए गए तिथि को कंकड़बाग, थाना के सी.सी.टी.वी. के याचिकाकर्ता की पत्नी के शिकायत के मामले के सभी पहलुओं, कंकड़बाग पुलिस स्टेशन के

प्रभारी अधिकारी और कंकड़बाग पुलिस स्टेशन की महिला उप-निरीक्षक की भूमिका की जांच करने के बाद पटना के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को एक व्यापक जवाबी हलफनामा दायर करने के लिए कहा और इसे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, पटना की हिरासत में सुरक्षित रखने का आदेश दिया गया। कंकड़बाग पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी और महिला उप-निरीक्षक (उत्तरदाता सं.) 6 और 7) को मामले की जांच से खुद को दूर रखने का निर्देश दिया गया था।

30. उपरोक्त पृष्ठभूमि में, ए. एस. पी. (सदर), पटना को मामले की जांच का जिम्मा सौंपा गया था। इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत सामग्री से ऐसा प्रतीत होता है कि ए. एस. पी. ने स्वर्गीय जगदीश नारायण के पुत्र रवींद्र कुमार और देवेंद्र कुमार (प्रतिवादी सं.11) का बयान दर्ज करने के लिए आगे बढ़े। उन्होंने ने भी कहा है कि यह याचिकाकर्ता प्रश्नगत फ्लैट में रह रहा था। अन्य गवाहों ने भी कहा है कि यह याचिकाकर्ता फ्लैट में रह रहा था और घटना की कथित तारीख को याचिकाकर्ता और शंकर कुमार को पुलिस स्टेशन ले जाया गया जहां दोनों पक्षों ने समझौता कर लिया।

31. जाँच में यह भी पता चला कि कथित घटनाओं के संबंध में, याचिकाकर्ता की पत्नी ने अपनी शिकायत समर्पित की थी और पुलिस अधीक्षक के कार्यालय ने उसे कंकड़बाग पुलिस स्टेशन को भेज दिया था, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। याचिकाकर्ता की पत्नी द्वारा समर्पित अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (कानून और व्यवस्था), बिहार पटना को समर्पित किए गए अभ्यावेदन की दिनांक 31.08.2022 की प्रति पर, संबंधित पुलिस अधिकारी द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, पटना को ए. एस. पी. (सदर) के माध्यम से मामले की जांच कराने के लिए शीर्ष पर एक समर्थन है चूंकि स्थानीय एस. एच. ओ. के खिलाफ आरोप लगाए गए हैं, तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया था, लेकिन जैसा कि ऊपर कहा गया है, कोई कार्रवाई नहीं की गई और केवल 01.12.2022 को इस मामले की सुनवाई के दौरान, एस. एच. ओ. ने प्राथमिकी दर्ज नहीं करने और उचित कार्रवाई नहीं करने में अपनी गलती को समझते हुए, अनुलग्नक '4' को प्रथम सूचना रिपोर्ट के रूप में दर्ज किया। इस तरह बिना कार्रवाई के तीन महीने का समय समाप्त हो गया और चीजें केवल तभी आगे बढ़ सकी जब याचिकाकर्ता ने इस अदालत का रुख किया। एस. एच. ओ. की ओर से अपने स्वयं के विभागीय प्राधिकरण के निर्देश का पालन नहीं करने में निष्क्रियता इसके चेहरे पर बड़ा लिखा(स्पष्ट)है। इस तरह की निष्क्रियता केवल याचिकाकर्ता की दलीलों को मजबूत करती है कि एस. एच. ओ. याचिकाकर्ता को जबरन बेदखल करने में आरोपी व्यक्तियों की मदद कर रहा था।

32. तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता को श्रीमती निशा, सब-इंस्पेक्ट द्वारा 17.08.2022 को पुलिस स्टेशन ले जाया गया था एवं रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री से पता चलता है कि उन्हें शाम 5 बजे तक हिरासत में रखा गया था। प्रत्यर्थियों का एकमात्र तर्क यह होगा कि याचिकाकर्ता को पुलिस स्टेशन के परिसर के भीतर जाने की अनुमति दी गई थी और वह अपने मोबाइल का उपयोग करके बात करने के लिए स्वतंत्र था। अभिलेखों से यह स्पष्ट है कि जब याचिकाकर्ता को उप-निरीक्षक द्वारा पुलिस थाने में लाया गया था, तो उसके खिलाफ

कोई लिखित शिकायत नहीं थी। पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी द्वारा प्राप्त किसी भी जानकारी के आधार पर इस अदालत को कोई स्टेशन डायरी प्रविष्टि नहीं दिखाई गई है। तब कोई पूछताछ नहीं की जा रही थी कि उसे पुलिस स्टेशन में क्यों लाया गया और कई घंटों तक वहां रहने के लिए क्यों कहा गया, यह पुलिस स्टेशन के अंदर हुई बाद की घटना से ही स्पष्ट हो सकता है।

33. ए. एस. पी. (सदर) ने कहा है कि अभियुक्तों में से एक ने पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को अपने आधिकारिक या निजी मोबाइल नंबरों पर 17.08.2022 को कॉल किया था, लेकिन साथ ही यह भी कहा गया है कि उनके आधिकारिक नंबर 9431822153 पर प्रभारी अधिकारी को 09:01 प्रातः एवं 09:05 प्रातः के बीच जानकारी उस कथित घटना के बारे में सूचना मिली जिसके बाद उसने एस. आई. निशा से उसके निजी नंबर पर बात की। यह आश्चर्य की बात है कि जाँच से यह पता नहीं चलता है कि पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को किसने सूचित किया था। ए. एस. पी. (सदर), पटना ने यह नहीं कहा है कि जिन नामित अभियुक्त व्यक्तियों के सीडीआर प्राप्त हुए थे, वे पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी के संपर्क में नहीं थे। यह पता लगाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया है कि क्या रवींद्र कुमार (प्रतिवादी सं.10) और देवेंद्र कुमार (प्रतिवादी सं.11), जिन्हें कथित घटना में सहायक कहा जाता है, प्रभारी अधिकारी और/या श्रीमती निशा उप-निरीक्षक साथ पूर्व तिथियों से संपर्क में थे। जांच में कहा गया है कि प्रभारी अधिकारी को एक अज्ञात नंबर से कॉल आया था, लेकिन उस अज्ञात नंबर और उक्त नंबर के धारक की जांच के दौरान जांच नहीं की गई है। यह जांच अधिकारी का मामला नहीं है कि इस तरह के अज्ञात नंबर या व्यक्ति की पहचान कुछ सत्याभासी कारणों से प्रकट नहीं की जा रही है। वास्तव में, जिस तरह से जांच की गई है, और यह निष्कर्ष निकाला गया कि याचिकाकर्ता ने खुद समझौते के आधार पर घर खाली कर दिया था, यह इस न्यायालय के विश्वास को प्रेरित नहीं करेगा। एक निष्पक्ष जांच भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत एक नागरिक के मौलिक अधिकार का एक हिस्सा है। जब भी यह न्यायालय, एक संवैधानिक न्यायालय होने के नाते, पाएगा कि जांच एजेंसी उचित और निष्पक्ष जांच करने के अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रही है, तो एक उचित निर्देश जारी किया जा सकता है।

34. यह मामला एक गंभीर सवाल उठाता है कि क्या एक पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को लेने, उसे पुलिस जीप में बिठाने और उसे पुलिस स्टेशन लाने के अपने अधिकार के भीतर है, जहां उसे सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक बिना कारण बताए कि उसे थाना क्यों लाया गया एवं वहाँ इतनी लंबी अवधि तक क्यों रखा गया, दर्ज किए रखा जा सकता है। क्या पुलिस स्टेशन की भूमिका को इस हद तक बढ़ाया जा सकता है कि पुलिस किसी ऐसे व्यक्ति को उठाएगी जिसका किसी अन्य व्यक्ति के साथ संपत्ति विवाद है और फिर उसे पुलिस स्टेशन के परिसर के भीतर सीमित कर देगी और अंततः इससे एस. एच. ओ. की उपस्थिति में समझौता हो जाएगा। केवल पूछताछ के नाम पर किसी व्यक्ति को सुबह से

शाम तक पुलिस स्टेशन में बैठाया जा सकता है। यह ऐसा मामला भी नहीं है जिसमें याचिकाकर्ता को किसी मामले के संबंध में पूछताछ के उद्देश्य से उठाया गया हो।

35. यह न्यायालय इस बात से अवगत है कि कुछ स्थानीय पारिवारिक संपत्ति विवादों को हल करने के लिए, पुलिस थाने के परिसर के भीतर पक्षों के बीच सुलह करने का प्रयास कर रही है और पक्षों के बीच विवाद को सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करने का प्रयास कर रही है। हालांकि दोनों पक्षों, जो परिवार के सदस्य/पड़ोसी और सह-ग्रामीण हैं, के बीच एक तरह की मध्यस्थता का आयोजन एक स्वागत योग्य विचार है, लेकिन इसकी एक सीमा है। एक पूर्व अधिसूचित तिथि पर बड़े पैमाने पर जनता की उपस्थिति में पुलिस स्टेशन के अंदर एक प्रशिक्षित मध्यस्थ की उपस्थिति में पक्षों के बीच मध्यस्थता एक बात होगी, लेकिन एक व्यक्ति को पुलिस जीप में ले जाना, उसे सुबह से शाम तक पुलिस स्टेशन में सीमित रखना और फिर पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी के कक्ष में उसके और दूसरे पक्ष के बीच समझौता होने के बाद ही उसे मुक्त करना काफी अलग और विशिष्ट बात होगी और यह एक सभ्य समाज के लिए स्वीकार्य नहीं होगा जो कानून के शासन में विश्वास करता है।

36. जब किसी व्यक्ति को पुलिस जीप में जबरन पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है और फिर सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक पुलिस स्टेशन के अंदर रहने के लिए कहा जाता है, तब उसे किस तरह की मानसिक पीड़ा होती है, भले ही उसके खिलाफ कोई प्राथमिकी न हो, उस व्यक्ति के मूल मानव अधिकारों, पीड़ा एवं उत्पीड़न कोई भी व्यक्ति जो उसमें विश्वास करता है, अच्छी तरह से समझ सकता है, जो एक पुलिस अधिकारी द्वारा नहीं समझा जा सकता है जो एक इंसान को, एक बुनियादी 'इंसान होने का अधिकार' देने के लिए तैयार नहीं है।

37. वर्तमान मामले में, पुलिस थाने में याचिकाकर्ता को हिरासत में लेना सख्त कानूनी अर्थों में गिरफ्तारी नहीं तो गिरफ्तारी के कार्य के समान है। याचिकाकर्ता को सुबह से शाम तक पुलिस स्टेशन में रहने के लिए कहकर उसकी स्वतंत्रता को कम कर दिया गया। इसके परिणामस्वरूप भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत याचिकाकर्ता को गारंटीकृत मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है। गिरफ्तार करने की शक्ति भारतीय पुलिस में भ्रष्टाचार का मुख्य स्रोत है। लगभग 30 साल पहले के **जोगिंदर कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, ए.आई.आर, 1994 एस सी 1349** में प्रतिवेदित, मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय पुलिस आयोग की रिपोर्ट पर ध्यान दिया है और निम्नलिखित टिप्पणी की है: .

“13. राष्ट्रीय पुलिस आयोग ने अपनी तीसरी रिपोर्ट में भारत में पुलिस द्वारा गिरफ्तारी की गुणवत्ता का उल्लेख करते हुए पुलिस में भ्रष्टाचार के मुख्य स्रोतों में से एक के रूप में गिरफ्तारी की शक्ति का उल्लेख किया है। रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि कुल मिलाकर, लगभग 60 प्रतिशत गिरफ्तारियां या तो अनावश्यक या अनुचित थीं और इस तरह की अनुचित पुलिस कार्रवाई जेलों के

खर्च का 43.2% थी। उक्त आयोग ने पृष्ठ 31 पर अपनी तीसरी रिपोर्ट में इस प्रकार टिप्पणी की:

“यह स्पष्ट है कि गिरफ्तारी का बड़ा भाग बहुत मामूली अभियोजनों के साथ जुड़ी हुई थी और इसलिए, अपराध की रोकथाम के दृष्टिकोण से इसे काफी आवश्यक नहीं माना जा सकता है। इस प्रकार गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों को जेल में निरंतर हिरासत में रखने का अर्थ उनके रखरखाव पर होने वाले खर्च से भी बचा जा सकता है। उपरोक्त अवधि में यह अनुमान लगाया गया था कि संबद्ध जेलों में खर्च का 43.2 प्रतिशत केवल ऐसे कैदियों पर था जिन्हें अंतिम विश्लेषण में गिरफ्तार करने की आवश्यकता नहीं थी। ”

38. दंड प्रक्रिया संहिता (जिसे इसके बाद दं.प्र.सं के रूप में संदर्भित किया गया है) में कहीं भी यह प्रावधान नहीं है कि एक पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को बिना किसी कारण का खुलासा किए एक निर्दिष्ट अवधि के लिए पुलिस स्टेशन में हिरासत में रख सकता है। किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति और गिरफ्तारी को प्रभावित करते समय पालन की जाने वाली आवश्यक प्रक्रियाएं दं.प्र.सं के अध्याय V के तहत प्रदान की गई हैं, जिसमें धारा 41 से धारा 60 शामिल है। एक पुलिस अधिकारी को दं.प्र.सं धारा 41 की उप-धारा 1 के तहत गणना की गई परिस्थितियों में मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना और वारंट के बिना किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का अधिकार है। दं.प्र.सं की धारा 57 निम्नवत है: .

“57. गिरफ्तार व्यक्ति को चौबीस घंटे से अधिक समय तक हिरासत में नहीं रखा जाना चाहिए। —कोई भी पुलिस अधिकारी वारंट के बिना गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को मामले की सभी परिस्थितियों में उचित अवधि से अधिक समय तक हिरासत में नहीं रखेगा, और ऐसी अवधि, धारा 167 के तहत मजिस्ट्रेट के विशेष आदेश के अभाव में, गिरफ्तारी के स्थान से दंडाधिकारी के न्यायालय तक की यात्रा के वास्ते अनिवार्य समय को छोड़कर चौबीस घंटे से अधिक नहीं होगा।

39. वर्तमान मामले में, चूंकि एस. एच. ओ. और जांच एजेंसी का यह बना रहना कि इस मामले में याचिकाकर्ता को गिरफ्तार नहीं किया गया था, इसलिए इस अदालत को इस बात पर विचार करने की आवश्यकता है कि क्या पुलिस के उप-निरीक्षक की कार्रवाई जिसने याचिकाकर्ता को पुलिस जीप में बिठाया और फिर उसे पुलिस स्टेशन ले गया जहां उसे छोड़ दिया गया था और जैसा कि रिकॉर्ड पर पूरी सामग्री से स्पष्ट है, उसे समझौते/मध्यमार्ग पर हस्ताक्षर करने से पहले पुलिस स्टेशन छोड़ने की अनुमति नहीं दी गई थी, पुलिस रिकॉर्ड में याचिकाकर्ता को "गिरफ्तार" दिखाए बिना उसे हिरासत में लेने के बराबर होगा। वर्तमान मामले के संदर्भ में "निरोध" शब्द का अर्थ याचिकाकर्ता को उसके परिवार या किसी अन्य व्यक्ति से दूर रखना होना चाहिए जिसका इरादा समझौता/मेल-मिलाप करने के लिए मजबूर करना हो। याचिकाकर्ता द्वारा संज्ञेय अपराध करने का आरोप लगाते हुए इस मामले में कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं किया गया था। पुलिस स्टेशन के अभिलेखों में, इस बात का कोई उल्लेख

नहीं है कि पुलिस के एस. आई. को एस. एच. ओ. द्वारा याचिकाकर्ता को पुलिस स्टेशन लाने और उसे सुबह से शाम तक पुलिस स्टेशन में रखने के लिए अधिकृत किया गया था, जब तक कि याचिकाकर्ता और प्रतिवादी सं 9 के बीच समझौता नहीं हो जाता। पुलिस के एस. आई. की कार्रवाई और फिर एस. एच. ओ. द्वारा उसी की व्यावहारिक मंजूरी पुलिस प्रशासन में बड़े पैमाने पर लोगों के विश्वास को हिला देने की अन्तःशक्ति है। इसकी कोई कानूनी मंजूरी नहीं है।

40. इस न्यायालय को शत्रुघ्न आत्माराम पाटिल और अन्य बनाम विनोद दोधु चौधरी और एक अन्य 2024 आई. एन. एस. सी. 75 में रिपोर्ट किया गया मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के हाल के निर्णय से ताकत मिलेगी। उक्त मामले में, प्रश्नगत परिसर किरायेदारों के कब्जे में था। संपत्ति के मालिक ने पांच व्यक्तियों के पक्ष में 27.10.2021 को एक बिक्री विलेख निष्पादित किया और उसके बाद 08.03.2022 को आत्महत्या कर ली। संपत्ति के मालिक ने एक सुसाइड नोट छोड़ा जिसमें किरायेदारों को उकसाने वाला बताया गया है। स्थानीय पुलिस में शिकायत की गई थी, लेकिन केवल दुर्घटनावश मौत का मामला दर्ज किया गया था, लेकिन भा.दं.सं. की धारा 306 के तहत कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं किया गया था।

41. अगले ही दिन, यानी 09.03.2022 को, किरायेदारों को संबंधित पुलिस स्टेशन में बुलाया गया, उन्हें चौबीस घंटे के लिए रखा गया और इस बीच, मृतक-विक्रेता के भाई, उसकी विधवा और स्थानीय पुलिस के समर्थन से प्रश्नगत परिसर को ध्वस्त कर दिया गया। पुलिस स्टेशन में, किरायेदारों को कुछ दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए भी मजबूर किया गया था, जाहिरा तौर पर स्वेच्छा से अपने परिसर को खाली करने की अपनी सहमति देते हुए। किरायेदारों ने खरीदारों, विक्रेताओं और कुछ पुलिस पदाधिकारी के खिलाफ दं.प्र.सं की धारा 156 (3) के तहत शिकायत दर्ज कराई। विद्वान दंडाधिकारी ने मृतक के भाई, मृतक की विधवा एवं पाँच क्रेताओं की संलिप्त को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 202 के तहत सीमित करते हुए एक जाँच का आदेश दिया। इस आदेश को किरायेदारों/शिकायतकर्ताओं द्वारा विद्वान सत्र न्यायाधीश के समक्ष चुनौती दी गई थी, जिन्होंने आदेश दिया था कि विद्वान मजिस्ट्रेट के समक्ष दायर शिकायत को पंजीकरण और जांच के लिए संबंधित पुलिस स्टेशन को भेजा जाए। विद्वान सत्र न्यायाधीश के आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी। उच्च न्यायालय ने न केवल विद्वान सत्र न्यायाधीश के आदेश को मंजूरी दी बल्कि जांच के संबंध में आगे के निर्देश भी जारी किए। उच्च न्यायालय के आदेश को मृतक के भाई, खरीदारों और पुलिस कर्मियों के कहने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी। माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष मामले के लंबित रहने के दौरान, शिकायतकर्ता और अभियुक्त ने समझौता किया जिसके तहत बाद के खरीदारों ने रुपये दस लाख रुपये की राशि का भुगतान किया। प्रत्येक किरायेदार को दिए गए और इसके बदले, किरायेदारों ने यह कहते हुए अपना हलफनामा दायर किया कि वे अपनी शिकायत पर आगे मुकदमा नहीं चलाना चाहते हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय ने शिकायत वापस लेने में

हस्तक्षेप नहीं किया और उनका विचार था कि आगे की जांच या मुकदमा व्यर्थ में एक अभ्यास होगा। लेकिन माननीय न्यायालय ने पुलिस कर्मियों के आचरण को ध्यान में रखते हुए, यह विचार किया कि पुलिस कर्मियों को ऐसे मामले में सही सलामत रूप से जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है जहां उनकी साजिश रचने और किरायेदारों को अवैध रूप से हिरासत में रखने के अपराध को उकसाने, उन्हें अपनी इच्छा के खिलाफ दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर करने और सक्षम अदालत के किसी भी आदेश के बिना प्रश्नगत परिसर को ध्वस्त करने में स्पष्ट भूमिका थी। माननीय उच्चतम न्यायालय ने पैराग्राफ '9', '10' और '11' में निम्नलिखित टिप्पणी की: .

“9. किरायेदारों के लिए मुआवजा बाद के खरीदारों द्वारा दिया गया है, जैसा कि हलफनामों में कहा गया है, जाहिरा तौर पर इस कारण से कि वे अब संपत्ति के मालिक हैं और वे अवैध रूप से विध्वंस करने में सहायक हैं। मृतक की विधवा (हालांकि हमारे समक्ष पक्ष नहीं थी) और भाई का आगे कोई हित नहीं हो सकता है क्योंकि संपत्ति मृतक द्वारा उसकी मृत्यु से साढ़े चार महीने पहले ही बेच दी गई थी। हालांकि, हम जिस बात से संतुष्ट नहीं हैं, वह यह है कि पुलिस कर्मियों को एक ऐसे मामले में स्वतंत्र रूप से जाने की अनुमति क्यों दी गई है, जिसमें उनकी साजिश रचने और किरायेदारों को अवैध रूप से हिरासत में रखने के अपराध को बढ़ावा देने, उन्हें अपनी इच्छा के खिलाफ दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर करने और एक सक्षम अदालत से किसी भी आदेश के बिना प्रश्नगत परिसर को ध्वस्त करने में स्पष्ट भूमिका थी।

10. तदनुसार, हम निर्देशित करते हैं कि दोनों परिवारियों में से प्रत्येक के वास्ते, छः पुलिस कर्मियों को रु० छः लाख का नुकसान होगा। छह पुलिस कर्मियों में से तीन कांस्टेबल हैं, एक हेड कांस्टेबल है, एक सब-इंस्पेक्टर है और एक निरीक्षक है। उन्हें प्रति सिपाही रु.50,000/-, प्रधान सिपाही द्वारा सं. 1,00,000/-, उप-निरीक्षक द्वारा रु. 1.50 लाख, एवं निरीक्षक द्वारा रु. 2.0 लाख, उपरोक्त वितरण के साथ प्रत्येक वाद के वास्ते कुल रु. 6.0 लाख की लागत का नुकसान होगा। यह राशि आज से चार सप्ताह के भीतर सशस्त्र बल युद्ध हताहत कल्याण कोष, केनरा बैंक, शाखा साउथ ब्लॉक, रक्षा मुख्यालय के खाता संख्या 90552010165915 में जमा की जाएगी। उक्त राशि को उपरोक्त निधि में जमा करने के बाद, वे छह सप्ताह के भीतर इस न्यायालय की रजिस्ट्री में और मजिस्ट्रेट और उच्च न्यायालय के समक्ष भी जमा का प्रमाण दाखिल करेंगे। उक्त राशि जमा करने पर, दोनों शिकायत मामलों की कार्यवाही रद्द और बंद हो जाएगी।

11. हालांकि, हम यह स्पष्ट करते हैं कि छः पुलिस कर्मियों द्वारा की गई किसी टिप्पणी एवं निर्देशन द्वारा भी किराएदारों के मुआवजे का नुकसान उनके प्रोन्नति आदि के संबंध में उनके हित के प्रतिकूल नहीं माना जाएगा, अर्थात् यह आदेश उनकी सेवा पुस्तिका में नहीं रखा जा सकता है। ”

42. इस न्यायालय को इस बात में कोई संदेह नहीं है कि याचिकाकर्ता को पुलिस स्टेशन में सुबह से शाम तक उसकी स्वतंत्रता से वंचित रखा गया था। यह पूरी तरह से गैरकानूनी था। इस न्यायालय की राय में, पुलिस उप-निरीक्षक और पुलिस स्टेशन के एस. एच. ओ. ने कानून द्वारा प्रदत्त अपने अधिकार का उल्लंघन किया। यह एक पुलिस अधिकारी को दी गई कठोर शक्ति के दुरुपयोग का मामला है। इस तरह की शक्ति का प्रयोग आकस्मिक तरीके से नहीं किया जा सकता था जैसा कि वर्तमान मामले में किया गया है। पुलिस थाने में याचिकाकर्ता की इस गैरकानूनी हिरासत के लिए, यह अदालत अभिनिर्धारित एवं घोषणा करेगी कि राज्य इस निर्णय की प्रति की प्राप्ति/प्रस्तुत करने की तारीख से दो महीने की अवधि के भीतर याचिकाकर्ता को एक लाख रुपये का मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी होगा। इस न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखते हुए, **रवि शंकर सिंह एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य जो, 2019 (1) पी एल जे आर 917** में प्रतिवेदित हुआ, के वाद में संदर्भित, कानून के अनुसार ऊपर उल्लिखित दो गलती करने वाले अधिकारियों से इस राशि का वसूली करेंगे। हालाँकि, यह न्यायालय यह देखेगा कि दो गलती करने वाले अधिकारियों से मुआवजे की राशि वसूल करने के लिए राज्य को दिए गए निर्देश को उनकी पदोन्नति आदि पर विचार करने में उनके हित के प्रतिकूल नहीं माना जाएगा। इस मामले में जांच पूरी होने के बाद, सक्षम प्राधिकारी प्रशासनिक पक्ष में मामले से आगे निपट सकता है।

43. इस न्यायालय की यह सुविचारित राय है कि इस मामले की जांच संतोषजनक रूप से आगे नहीं बढ़ी है। कथित घटना के कई पहलुओं की जांच नहीं की गई है। ऑडियो क्लिप के रूप में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य जो इस न्यायालय में चलाए गए हैं, उनकी जांच नहीं की गई है और इस मामले के आई. ओ. द्वारा यह पता लगाने का कोई प्रयास नहीं किया गया है कि क्या पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी और/या पुलिस के एस. आई. आरोपित घटना की तिथि से पूर्व निजी प्रत्यर्थियों के संपर्क में थे और क्या इस मामले में याचिकाकर्ता को सुबह से शाम तक पुलिस स्टेशन में हिरासत में रखने में पुलिस की कार्रवाई निजी उत्तरदाताओं द्वारा पुलिस अधिकारियों के साथ मिलकर याचिकाकर्ता को प्रश्रुगत फ्लैट के कब्जे से बाहर करने के लिए बनाई गई योजना का परिणाम थी। इस मामले का आई. ओ. भारतीय पुलिस सेवा का एक जिम्मेदार अधिकारी है, इसलिए यह न्यायालय उम्मीद करता है कि आई. ओ. सभी कोणों से जांच करेगा और एक उचित अवधि के भीतर इसे पूरा करेगा।

44. यह अदालत पुलिस स्टेशन में इस तरह की नजरबंदी को मंजूरी नहीं देगी। किसी व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी के बाद दं.प्र.सं. के प्रावधानों के अनुसार हिरासत में लिया जा सकता है, लेकिन एक व्यक्ति जिसके खिलाफ कोई संज्ञेय अपराध का खुलासा करने वाला कोई प्राथमिकी नहीं है और जिसे किसी मामले के संबंध में पूछताछ/जांच की आवश्यकता नहीं है, उसे पुलिस द्वारा उठाया नहीं जा सकता है और सुबह से शाम तक पुलिस स्टेशन में नहीं रखा जा सकता है। इस मामले में जो किया गया है, वह ऊपर की चर्चाओं से स्पष्ट है। बिहार के पुलिस महानिदेशक मामले के इस पहलू की जांच करेंगे और सभी पुलिस थानों को

उचित निर्देश जारी करेंगे। इस तरह का निर्देश आज से दो महीने की अवधि के भीतर जारी किया जाना चाहिए।

45. ऐसा कहने के बाद, यह न्यायालय वर्तमान वाद के तथ्यों में याचिकाकर्ता के कब्जे की बहाली कर निर्देशन के वास्ते असाधारण रिट क्षेत्राधिकार के अनुप्रयोग के वास्ते सम्मत नहीं है। इस वाद में, बिहार राज्य आवासीय बोर्ड द्वारा प्रत्यर्थी सं. 8 एवं 9 के पिता के पक्ष में प्रश्नगत फ्लैट का आवंटन एक स्वीकृत तथ्य है। प्रतिवादी सं. 8 और 9 ने याचिकाकर्ता के साथ बिक्री के लिए किसी भी समझौते के निष्पादन से इनकार कर दिया है और याचिकाकर्ता ने पहले ही विद्वान अवर-न्यायाधीश, पटना की अदालत में 2022 की संख्या 389 वाला एक स्वत्व मुकदमा दायर कर दिया है।

46. पक्षकारों के बीच स्वत्व वाद का निर्णय विद्वत न्यायालय द्वारा इस आदेश के किसी भी भाग में निहित इस न्यायालय की टिप्पणियों से प्रभावित हुए बिना उसकी योग्यता के आधार पर किया जाएगा।

47. रिट आवेदन का तदनुसार निपटारा किया जाता है।

(राजीव रंजन प्रसाद, न्यायमूर्ति)

ऋषि/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।